

परिशिष्ट - 26 5

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

दिनांक 30.04.2012 से 26.01.2016 तक की जानकारी

क्र.	शिकायत दिनांक	छात्र/छात्रा का नाम	प्रकरण की स्थिति	रिमार्क
1.	17.11.2015	श्री राघवेन्द्र सिंह यादव	श्री यादव की राशि त्रुटिवश अन्य के खाते में चली गई थी जिसकी जानकारी संज्ञान में आते ही उनके खाते में ट्रान्सफर कर दी गई। त्रुटि के लिए संबंधित लिपिक श्री रवीन्द्र घोरमारे को दि. 18.11.2015 को कारण बताओ सूचनापत्र दिया गया।	
2.	29.12.2015	कु. आर्ची चौरसिया	एस.सी./एस.टी. सेल के लिपिक श्री रवीन्द्र घोरमारे की इलाहाबाद बैंक से दि. 29.12.2015 को शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 29.12.2015 को सिविल लाइन थाना में प्रथम दृष्टतया रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई गई एवं तदनुसार भा.द.वि. की धारा 409, 420 के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध हुआ है। श्री रवीन्द्र घोरमारे को प्रथम दृष्टतया दोषी पाये जाने पर इन्हें कार्यालयीन आदेश दिनांक 30.12.2015 के द्वारा निलंबित कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही की जा रही है।	

अक्षय
अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग (शाखा - 3),
मंत्रालय, भोपाल.

अक्षय
कुलसचिव
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर